पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2023 का आपराधिक आवेदन (खं.पी.) संख्या-936

वर्ष-2018 के थाना वाद सं.-210, थाना-मधूबनी टाउन, जिला-मधूबनी से उत्पन्न

==========

हेमलता देवी, पत्नी-कैलाश कुमार उर्फ कैलाश प्रसाद साह, निवासी, मोहल्ला -जे. पी. कॉलोनी, वार्ड सं.-20, थाना-मधूबनी टाउन, जिला-मधूबनी

.....अपीलकर्ता/ओं

बनाम

1. बिहार राज्य
2. परशुराम यादव पुत्र-भुल्लर यादव, निवासी, ग्राम-बोखा, थाना-साहरघाट, जिला-मधूबनी
3. राम बिंद यादव, पुत्र-परशुराम यादव निवासी, ग्राम-बोखा, थाना-साहरघाट, जिला-मधूबनी।

.....प्रतिवादी/ओं

==========

उपस्थित:

अपीलार्थी के लिए	:	श्री रवि रंजन, अधिवक्ता
राज्य के लिए	:	श्री मुकेश्वर दयाल, एपीपी
प्रतिवादी संख्या 2 और 3 के लिए	:	श्री अजय कुमार ठाकुर,अधिवक्ता श्रीमती वैष्णवी सिंह, अधिवक्ता

==========

- *दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 – धारा 372 – बरी किए जाने के विरुद्ध अपील – सामान्य सिद्धांत – अभियुक्त के पक्ष में दोहरा अनुमान (प्रेसम्प्शन) – प्रथम, अपराध न्यायशास्त्र के मूलभूत सिद्धांतों के अंतर्गत अभियुक्त को प्राप्त निष्कलंकता का अनुमान – द्वितीय, बरी हो जाने के पश्चात अभियुक्त की निष्कलंकता का अनुमान और अधिक पुष्ट होता है – यदि अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर दो उचित निष्कर्ष संभव हैं, तो अपीलीय न्यायालय को बरी किए जाने के निर्णय में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए – अपील खारिज।*

  (संदर्भित: अपराध अपील (द्वैधपीठ) 550/2023 (राधे श्याम महतो उर्फ राधेश्वर महतो बनाम बिहार राज्य एवं अन्य); चंद्रप्पा एवं अन्य बनाम कर्नाटक राज्य; निखिल चंद्र मंडल बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (2023) 6 एस.सी.सी 605)

  (पैरा-27 से 30)

- *पीड़िता की आयु निर्धारण – मार्कशीट की फोटोकॉपी – दस्तावेज प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति का नाम अभिलेख पर नहीं – यद्यपि दस्तावेज प्रदर्शित किया गया, तथापि उसके सामग्री स्वतः सिद्ध नहीं मानी जा सकती – निष्कर्ष: अभियोजन पीड़िता के नाबालिग*

होने को प्रमाणित करने हेतु कोई वैधानिक प्रमाण प्रस्तुत करने में असफल – डॉक्टर के कथन के अनुसार घटना के समय पीड़िता बालिग थी।

- *दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 – धारा 161 के अंतर्गत दिया गया बयान – धारा 164 के अंतर्गत बयान – पीड़िता द्वारा कभी भी किसी जबरदस्ती के कृत्य का आरोप नहीं – उसने स्वेच्छा से घर छोड़ा – किसी ने उसे बहलाया-फुसलाया नहीं – पीड़िता के पारिवारिक सदस्य उस पर अत्याचार करते थे, इसी क्रोध में उसने घर छोड़ा – परिवार द्वारा उस पर दबाव था कि वह उनके पक्ष में गवाही दे वरना उसे घर से निकालकर रिमांड होम भेज दिया जाएगा – पीड़िता स्वयं अभियुक्त के साथ अपनी इच्छा से रहने चली गई और उससे विवाह किया – पीड़िता ने सूचक (इनफॉर्मेंट) के मामले का समर्थन नहीं किया – अभियोजन पक्ष के गवाहियों में गंभीर विरोधाभास एवं विसंगतियाँ, विपरीत इसके स्वयं पीड़िता ने अभियुक्त को निर्दोष बताया।*

- *निष्कर्ष: अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों में ऐसा कोई सामग्री नहीं, जिससे यह स्थापित हो सके कि प्रतिवादीगण (अभियुक्त) ने आरोपित अपराध किए हैं।*

(पैरा-25 से 27)

==========

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय आदेश

==========

कोरमः माननीय न्यायमूर्ति श्री विपुल एम. पंचोली
और
माननीय न्यायमूर्ति श्री रमेश चंद मालवीय
मौखिक निर्णय
(निर्णयः माननीय न्यायमूर्ति श्री विपुल एम. पंचोली)

तिथि: 02-05-2024

वर्तमान अपील दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (इसके बाद 'संहिता' के रूप में संदर्भित) की धारा 372 के प्रावधान के तहत दायर की गई है, जिसमें टाउन थाना केस नंबर 210 से उत्पन्न होने वाले 2018 के पॉक्सो जी. आर. केस नंबर 51/2018 में विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-**VI**-सह-विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो), मधुबनी द्वारा दिनांक-15.05.2023 के पारित निर्णय को चुनौती दी गई है, जिसमें संबंधित निचली अदालत ने प्रतिवादी नंबर 2 और 3 को आई. पी. सी. की धारा 366 (ए)/34 और पॉक्सो अधिनियम की धारा 8 के तहत दंडनीय अपराधों से बरी कर दिया गया।

2. अपीलार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री रवि रंजन, प्रतिवादी-राज्य की ओर से विद्वान ए. पी. पी. श्री मुकेश्वर दयाल और प्रतिवादी संख्या 2 और 3 (मूल अभियुक्त) की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्रीमती वैष्णवी सिंह की सहायता से श्री अजय कुमार ठाकुर को सुना।

3. अपीलार्थी/मूल सूचना देने वाले के विद्वान अधिवक्ता मुख्य रूप से प्रस्तुत करेंगे कि सूचना देने वाला पीड़ित की माँ है जिसने संबंधित पुलिस प्राधिकरण को लिखित आवेदन दिया था जिसमें उसने मुख्य रूप से आरोप लगाया है कि वह जे. पी. कॉलोनी, मधुबनी में अपने परिवार के साथ रह रही थी जहाँ से उसकी नाबालिग लड़की को आरोपी विनोद कुमार द्वारा दिनांक-23.11.2017 को अपहरण कर लिया गया था और जाँच के दौरान, उसकी बेटी को बरामद कर लिया गया था और अदालत के आदेश पर, पुलिस ने उसकी बेटी को उसे सौंप दिया था। आगे यह आरोप लगाया गया है कि दिनांक-06.06.2018 उसकी अनुपस्थिति में जब वह दरभंगा में अपने पुत्र इलाज के लिए गई थी, तो आरोपी विनोद कुमार जबरन उसकी 16 साल की नाबालिग बेटी को एक बोलेरो कार में ले गया, जो सूचक और अन्य सह-आरोपी परशुराम यादव के घर के सामने खड़ी थी। रामबिंद यादव अन्य लोगों के साथ वाहन में बैठे थे और उन सभी ने समान इरादे से, सूचक की नाबालिग बेटी का अपहरण कर लिया।

4. यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि एफ. आई. आर. के पंजीकरण के बाद, जांच अधिकारी ने जांच की और जांच के दौरान, उन्होंने गवाहों के बयान दर्ज किए और दस्तावेजी साक्ष्य भी एकत्र किए। इसके बाद, उन्होंने आई. पी. सी. की धारा 366 (ए)/34 और पॉक्सो अधिनियम की धारा 4 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए वर्तमान प्रतिवादियों के साथ-साथ मूल आरोपी नंबर 1 विनोद कुमार के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि निचली अदालत के समक्ष अभियोजन पक्ष ने नौ गवाहों की जांच की थी और दस्तावेजी साक्ष्य भी प्रस्तुत किए थे और मुकदमे के समापन के बाद, निचली अदालत ने मूल आरोपी नंबर 1 विनोद कुमार को आई. पी. सी. की धारा 376 और पॉक्सो अधिनियम की धारा 4 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दोषी ठहराया, हालांकि, निचली अदालत ने वर्तमान निजी प्रतिवादियों को बरी कर दिया है। इसलिए, अपीलार्थी/सूचनाकर्ता ने निजी प्रत्यर्थियों के खिलाफ निचली अदालत द्वारा बरी किए जाने के आदेश के खिलाफ वर्तमान अपील को प्राथमिकता दी है। इस स्तर पर, विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी बताया गया है कि दोषसिद्धि के आदेश के खिलाफ मूल आरोपी नंबर 1 विनोद कुमार ने आपराधिक अपील को प्राथमिकता दी है। इस अदालत ने उक्त अपील को स्वीकार कर लिया है और आरोपी/दोषी को जमानत पर रिहा कर दिया है।

5. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश पर यह तर्क देते हुए हमला किया है कि यद्यपि शुरू में पीड़िता ने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया था, जब उसे दिनांक-16.12.2022 पर वापस बुलाया गया था, उसने विशेष रूप से पैरा-17 में कहा है कि वर्तमान निजी उत्तरदाताओं ने मूल आरोपी विनोद कुमार के साथ मिलकर उसका अपहरण किया है। तीनों आरोपी मुज़फ़्फ़रपुर में रहते हैं और बिनोद कुमार ने मुज़फ़्फ़रपुर में उसका बलात्कार किया था। विद्वान अधिवक्ता ने आगे अपने बयान के पैरा-22 पर भरोसा किया है और तर्क दिया है कि पीड़िता ने विशेष रूप से आरोपी को फंसाने का कारण नहीं बताया है, जबकि उसने पहले अदालत के समक्ष गवाही दी थी। यह तर्क दिया जाता है कि उन्होंने विशेष रूप से कहा है कि विनोद कुमार के साथ-साथ परशुराम यादव (प्रतिवादी संख्या 2) के दबाव में, उन्होंने पहले यानी मई, 2019 में बयान दिया था। इसलिए विद्वान अधिवक्ता ने आग्रह किया कि हालाँकि पीड़ित ने शुरू में अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया है, लेकिन उसके बयान के पैरा-17 और 22 को देखते हुए, विद्वत निचली अदालत को वर्तमान निजी प्रतिवादियों को उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों के लिए दोषी ठहराया जाना चाहिए था। इसलिए विद्वान अधिवक्ता ने आग्रह किया कि आक्षेपित निर्णय और आदेश को रद्द कर दिया जाए और दरकिनार कर दिया जाए।

6. इसके बाद अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता पीडब्लू-2 कैलाश कुमार, जो पीड़िता के पिता हैं, पीडब्लू-3 सीता राम साह, जो पीड़िता के दादा हैं, पीडब्लू-4 हेमलता देवी, जो पीड़िता की मां हैं और साथ ही मामले की सूचक भी हैं, द्वारा दिए गए बयान को संदर्भित करेंगे। उक्त गवाहों के बयान का उल्लेख करने के बाद, विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि उपरोक्त सभी अभियोजन-गवाहों ने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन किया है और उक्त गवाहों द्वारा दिए गए बयान में वर्तमान निजी प्रतिवादियों के खिलाफ विशिष्ट आरोप लगाए गए हैं।

7. इसके बाद अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने पीडब्लू-7 अशोक यादव द्वारा दिए गए बयान का उल्लेख किया, जो मूल आरोपी नंबर 1 विनोद कुमार के ससुर थे। विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि उक्त गवाह ने भी अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन किया है और आरोपी विनोद कुमार के चरित्र की ओर इशारा किया है। उक्त गवाह ने कहा है कि उसकी बेटी की शादी विनोद कुमार से हुई थी, हालांकि, आरोपी उसे प्रताड़ित कर रहे थे। इसके बाद अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने पीडब्लू-8 शैलेंद्र कुमार विद्याकर और पीडब्लू-9 सच्चिदानंद प्रसाद द्वारा दिए गए बयान को संदर्भित किया। यह प्रस्तुत किया जाता है कि उपरोक्त दो गवाह पुलिस के गवाह हैं और पीडब्लू-8 ने जांच की थी और जांच

के दौरान, उन्होंने गवाहों के बयान दर्ज किए थे और मैट्रिक परीक्षा की अंक-पत्र की फोटो कॉपी सहित अन्य आवश्यक सामग्री को एकत्र करने के बाद आरोपी के विरूद्ध आरोप पत्र दाखिल किया। इसलिए विद्वान अधिवक्ता ने आग्रह किया कि अभियोजन पक्ष ने सभी अभियुक्तों के खिलाफ मामले को उचित संदेह से परे साबित कर दिया है, जिसके बावजूद निचली अदालत ने वर्तमान निजी प्रतिवादियों को बरी कर दिया है।

8. इसके बाद विद्वान अधिवक्ता यह तर्क देंगे कि मैट्रिक परीक्षा की अंक-पत्र की फोटोकॉपी के रूप में दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करके, अभियोजन पक्ष ने साबित कर दिया है कि पीड़िता घटना की तारीख को नाबालिग थी और इसलिए, निचली अदालत ने उक्त दस्तावेज पर भरोसा करते हुए, अभियुक्तों में से एक यानी विनोद कुमार को दोषी ठहराया है। हालाँकि, निचली अदालत ने वर्तमान निजी प्रतिवादियों को बरी कर दिया है। इसलिए विद्वान वकील ने आग्रह किया कि आक्षेपित निर्णय और आदेश को रद्द कर दिया जाए और दरकिनार कर दिया जाए।

9. दूसरी ओर, निजी प्रतिवादियों की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता श्री अजय कुमार ठाकुर ने वर्तमान अपील का विरोध किया है। विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि अभियोजन पक्ष ठोस साक्ष्य का नेतृत्व करके पीड़ित की उम्र साबित करने में विफल रहा है और अभियोजन पक्ष द्वारा केवल मैट्रिक परीक्षा के अंक-पत्र की केवल फोटोकॉपी ही अभिलेख पर प्रस्तुत की गई थी। विद्वान अधिवक्ता ने इस स्तर पर पीडब्लू-6 डॉ. रमा झा द्वारा दिए गए बयान को संदर्भित किया है। उक्त चिकित्सक ने विशेष रूप से रेडियोलॉजिकल निष्कर्ष के आधार पर राय दी है कि पीड़िता की आयु लगभग 19 वर्ष है। इसलिए विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि अदालत के समक्ष प्रस्तुत किए गए चिकित्सा साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि घटना की तारीख को पीड़ित नाबालिग थी।

10. इस स्तर पर, विद्वान अधिवक्ता श्री ठाकुर संहिता की धारा 164 के तहत संबंधित दंडाधिकार द्वारा दर्ज पीड़ित के बयान को संदर्भित करेंगे। उक्त बयान से यह बताया गया है कि पीड़िता ने विशेष रूप से कहा है कि वह स्वेच्छा से अपना घर छोड़कर विनोद कुमार के साथ गई थी और किसी ने उसे लुभाया नहीं है। परिवार के सदस्य उसके साथ दुर्व्यवहार करते थे और गुस्से में वह घर से चली गई। उन्होंने धमकी दी कि अगर वह उनके पक्ष में गवाही नहीं देती है, तो उसे बाहर निकाल दिया जाएगा और रिमांड होम भेज दिया जाएगा। अदालत द्वारा आगे का सवाल पूछा गया था जिसमें उसने विशेष रूप से कहा है कि वह विनोद कुमार के साथ रहने गई थी जिससे उसने शादी की थी। इसलिए विद्वान अधिवक्ता श्री ठाकुर, प्रस्तुत करते हैं कि पीड़िता ने संहिता की धारा 164 के तहत बयान देते समय, वर्तमान निजी उत्तरदाताओं के साथ-साथ मूल आरोपी नंबर 1 को भी शामिल

नहीं किया। इस स्तर पर, अभिलेख से यह भी बताया गया है कि पीड़िता ने पुलिस के समक्ष संहिता की धारा 161 के तहत बयान देते हुए भी आरोपी को फंसाया नहीं था।

11. इस स्तर पर, निजी उत्तरदाताओं के विद्वान अधिवक्ता ने पीडब्लू-1 यानी खुद पीड़िता द्वारा दिए गए बयान को संदर्भित किया है। उक्त बयान का हवाला देने के बाद, विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि पीड़िता ने अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत कहानी का समर्थन नहीं किया और उसने वर्तमान निजी प्रतिवादियों या यहां तक कि मूल आरोपी नंबर 1 बिनोद कुमार के खिलाफ कुछ भी आरोप नहीं लगाया था। इस स्तर पर, यह तर्क दिया जाता है कि अदालत द्वारा उसका बयान 01.05.2019 को दर्ज किया गया था और उसे तीन साल की अवधि के बाद वापस बुला लिया गया था और उस समय, 16.12.2022 को बयान देते समय, उसने वर्तमान निजी प्रतिवादियों के खिलाफ आरोप लगाए थे और यह भी कहा था कि विनोद कुमार और परशुराम यादव के प्रभाव में, उसने पहले बयान दिया था। हालाँकि, उक्त को कथित गवाह के बाद के विचार और प्रशिक्षण के रूप में कहा जा सकता है। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि पीड़िता ने पुलिस के समक्ष धारा 161 के साथ-साथ दंडाधिकार के समक्ष संहिता की धारा 164 के तहत अपना बयान देते हुए और न्यायालय के समक्ष बयान देते हुए आरोपी को दोषमुक्त कर दिया था इसलिए, निचली अदालत ने उसके बयान पर सही विश्वास किया है और वर्तमान निजी प्रतिवादियों के पक्ष में आदेश पारित किया है। इसलिए विद्वान अधिवक्ता ने आग्रह किया कि निचली अदालत ने ऐसी कोई त्रुटियां नहीं की है जिसके लिए वर्तमान अपील में किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता हो।

12. इसके बाद विद्वान अधिवक्ता यह तर्क दिया कि बरी करने की अपील में हस्तक्षेप का दायरा बहुत संकीर्ण है। विद्वान अधिवक्ता ने **चंद्रप्पा और अन्य बनाम कर्नाटक राज्य, (2007) 4 एस. सी. सी. 415** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय को संदर्भित किया है। इसलिए अधिवक्ता ने आग्रह किया कि यह न्यायालय वर्तमान अपील पर विचार नहीं कर सकता है क्योंकि निचली अदालत ने वर्तमान निजी प्रतिवादियों को बरी करते समय कोई त्रुटियां नहीं की है।

13. इस स्तर पर, अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि मैट्रिक परीक्षा की अंक-पत्र की फोटोकॉपी, प्रदर्श-10 को चिह्नित करने के समय बचाव पक्ष की ओर से कोई आपत्ति नहीं उठाई गई थी। उक्त तर्क का विरोध करते हुए, विद्वान अधिवक्ता श्री ठाकुर ने एक बार फिर तर्क दिया कि फोटोकॉपी साक्ष्य में स्वीकार्य नहीं है। अपीलार्थी के विद्वान वकील ने यह भी तर्क दिया कि वापस बुलाने के लिए आवेदन बचाव पक्ष द्वारा दिया गया था और इसलिए, उक्त गवाह को सीखाने-पढ़ाने का कोई सवाल ही नहीं है।

14. अपीलार्थी/सूचनाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने अपील ज्ञापांक के पैराग्राफ-13,14 और 15 का उल्लेख किया है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि उक्त पैराग्राफ में निर्दिष्ट निर्णय के अनुसार, यौन उत्पीड़न की पीड़िता का साक्ष्य दोषसिद्धि के लिए पर्याप्त है और इसके लिए किसी पुष्टि की आवश्यकता नहीं है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि चिकित्सा साक्ष्य अभियोजन पक्ष के अति विश्वसनीय साक्ष्य को खारिज नहीं कर सकते हैं।

14.1 यह ध्यान देने योग्य है कि अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने हालाँकि अपील ज्ञापन से उपरोक्त पैराग्राफ का उल्लेख किया है, लेकिन उसने वे निर्णय नहीं लिए हैं जो उक्त पैराग्राफ में संदर्भित हैं और न ही उसने उपरोक्त निर्णयों के प्रासंगिक पैराग्राफ का उल्लेख किया है जो अपील ज्ञापन में संदर्भित हैं और इसके अभाव में, सामान्य प्रस्तुतियाँ की जाती हैं।

15. विद्वान ए. पी. पी. ने प्रस्तुत किया है कि विवादित आदेश पारित करते समय निचली अदालत द्वारा कोई त्रुटियां नहीं की गई है। हालांकि, यह न्यायालय वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उचित आदेश पारित कर सकता है। विद्वान ए. पी. पी. ने आगे कहा है कि आज तक राज्य ने वर्तमान प्रतिवादियों के खिलाफ निचली अदालत द्वारा बरी किए जाने के आदेश के खिलाफ कोई अपील नहीं की है।

16. हमने पक्षकारों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत की गई दलीलों पर विचार किया है। हमने अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयान की प्रति और अपीलार्थी के लिए विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रदान की गई अन्य सामग्री का भी अवलोकन किया है। निचली अदालत के समक्ष अभियोजन पक्ष के नेतृत्व में साक्ष्य से यह पता चलता कि पीडब्लू-4, जो पीड़िता की मां हैं, ने संबंधित पुलिस प्राधिकरण को एक लिखित शिकायत दी है जिसमें उसने विनोद कुमार के साथ-साथ वर्तमान निजी प्रतिवादियों के खिलाफ आरोप लगाया है। निजी प्रतिवादियों के खिलाफ आरोप लगाया गया था कि वे आरोपी विनोद कुमार के साथ मिलकर सूचनाकर्ता की लगभग 16 वर्षीय बेटी को, सूचना देने वाले के घर के सामने खड़ी एक बोलेरो कार में जबरन ले गए। सूचक द्वारा दी गई उक्त जानकारी के आधार पर, एफ. आई. आर. शुरू में आई. पी. सी. की धारा 366 (ए)/34 के तहत दर्ज किया गया था। जांच समाप्त होने के बाद, जांच एजेंसी ने उपरोक्त प्रावधान के साथ-साथ आई. पी. सी. की धारा 376 और पॉक्सो अधिनियम की धारा 4 के तहत आरोप पत्र दायर किया और आरोपी के खिलाफ आरोप भी तैयार किया गया। यह ध्यान देने योग्य है कि मुख्य आरोप सूचना देने वाले द्वारा विनोद कुमार (मूल आरोपी संख्या 1) के खिलाफ लगाए गए हैं। वर्तमान प्रत्यर्थी संख्या 2 बिनोद कुमार के पिता हैं और प्रत्यर्थी संख्या 3 विनोद कुमार के भाई हैं। इस प्रकार, ऐसा प्रतीत होता है कि सूचना देने वाले ने विनोद

कुमार के परिवार के सदस्यों को इस घटना में प्रश्नगत फंसाया है। पीडब्लू-1 (पीड़ित) ने अपने बयान में कहा है कि वह अपनी मर्जी से मुजफ्फरपुर गई थी। वह किसी के साथ नहीं गई। वहाँ वह विनोद कुमार से मिली और उनके साथ रहने लगी। वह वहाँ 8 महीने तक रही। इस अवधि के दौरान, उन्होंने शारीरिक संबंध बनाए । इसके अलावा, उसने खुलासा किया कि उसने अपनी मर्जी से बिनोद कुमार के साथ शारीरिक संबंध बनाए।

16.1.इस प्रकार, पीड़ित द्वारा दिए गए उपरोक्त बयान से यह स्पष्ट है कि उसने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया था और उसने स्वेच्छा से अपना घर छोड़कर चली गई थी। हालाँकि, यहाँ यह ध्यान देने योग्य है कि, तीन साल की अवधि के बाद, उसे वापस बुलाया गया था, यानी 16.12.2022 को। उसने अदालत के समक्ष आगे बयान दिया था कि विनोद कुमार, परशुराम यादव और रामबिंद यादव ने उसका अपहरण कर लिया था और उसे मुजफ्फरपुर ले गए थे। तीनों आरोपी मुज़फ़्फ़रपुर में रहते हैं और मुज़फ़्फ़रपुर में बिनोद कुमार ने उसके साथ बलात्कार किया था। उन्होंने आगे कहा कि उनके द्वारा पहले दिया गया बयान बिनोद कुमार और परशुराम यादव के दबाव में दिया गया था।

17. पीडब्लू-2 पीड़िता का पिता है। उन्होंने अपने बयान में कहा है कि उनकी बेटी की जन्म तिथि 22.04.2001 है और घटना की तारीख को उनकी बेटी नाबालिग थी। उनकी पत्नी हेमलता देवी ने इससे पहले आरोपी के खिलाफ उनकी बेटी के अपहरण का मामला दर्ज कराया था। उस मामले में भी उनकी बेटी का बयान अदालत में धारा 164 के तहत दर्ज किया गया था।

17.1.अपनी जिरह में उसने कहा है कि उसे इस बात की जानकारी नहीं थी कि उसकी बेटी ने अदालत में अपने बयान में कहा था कि वह आरोपी विनोद कुमार के साथ जाएगी। इसके आगे वे कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि उसकी बेटी विनोद कुमार से प्यार करती है और उससे शादी कर चुकी है और वह अपनी बेटी पर अपना बयान बदलने के लिए दबाव नहीं डाल रहा है। ऐसा भी नहीं है कि उनकी बेटी अभी भी विनोद कुमार को अपना पति मानती है और उनके साथ रहना चाहती है।

18. पीडब्लू-3 सीता राम साह पीड़ित के दादा हैं। उन्होंने कहा है कि विनोद कुमार उसके घर आया और पीड़िता को जबरन बाहर खींच लिया जहां एक बोलेरो गाड़ी खड़ी थी जिसमें पहले से ही 5-6 लोग थे। बाद में उनकी पोती के साथ गलत काम करने की नीयत से वे बोलेरो गाड़ी लेकर भाग गए। कार में परशुराम यादव, राम बिंद यादव, जिची देवी, अभिराम यादव और अन्य लोग सवार थे।

18.1.अपनी जिरह में उन्होंने कहा है कि उन्हें याद नहीं है कि उनकी पोती का बयान दोनों अपहरण मामलों में संहिता की धारा 184 के तहत दर्ज किया गया था। धारा 164 के बयान के बाद वे अपनी पोती को न्यायालय से लेकर अपने घर चले गए थे। उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि धारा 164 के तहत दोनों बयानों में उसकी पोती ने विनोद कुमार से शादी करने, उससे प्यार करने, खुद उसके साथ जाने और आरोपी द्वारा उसका अपहरण नहीं करने के बारे में बताया था।

19. पीडब्लू-4 हेमलता देवी मामले की सूचक और पीड़िता की मां हैं। उन्होंने कहा है कि एक बोलेरो कार उसके घर से सिर्फ 15 कदम आगे में खड़ी की गई थी जिसमें रामबिंद यादव, विनोद यादव, परशुराम यादव, जिची देवी और अन्य सहित 6-7 लोग सवार थे और विनोद यादव ने उसकी बेटी को घर से घसीटा और कार में बिठाया। जब उन्होंने शोर मचाया तो वे भाग गए।

19.1. अपनी जिरह में, उसने कहा है कि वह अदालत में अपनी बेटी द्वारा दिए गए बयान पर विश्वास नहीं करती है।

20. पीडब्लू-5 गणेश प्रसाद ने अपने बयान में कहा है कि जब वह अपने घर पर थे, तो उन्होंने खिड़की से देखा कि कोई लड़का पीड़िता का हाथ पकड़कर घसीट रहा था। पीड़िता चिल्ला रहा थी। इसलिए वह घर से बाहर आया और उसका पीछा किया। उसने देखा कि घर से कुछ दूरी पर एक चार पहिया गाड़ी खड़ी थी जिसमें पीड़िता को जबरन बैठाया गया और फिर गाड़ी भागने लगी। गाड़ी में कुछ और लोग बैठे थे। जब तक वह वहाँ पहुँचा, चार लोग उसे कार में ले गए और वहाँ से चले गए। उसके बाद पता चला कि विनोद यादव, परशुराम यादव, राम बिंद और अन्य लोगों ने लड़की का अपहरण कर लिया था और उसे भगा दिया था।

21. पीडब्लू-6 डॉ. रमा झा चिकित्सा अधिकारी हैं जो सदर अस्पताल, मधुबानी में तैनात थीं। उक्त गवाह ने 27.06.2018 पर पीड़ित की जाँच की थी। उक्त गवाह ने अपने बयान में कहा हैः .

> "ऊँचाई-5 फीट 1 इंच, वजन-40 किलोग्राम, दांत-14/14, माध्यमिक यौन चरित्र अच्छी तरह से विकसित थी। उसके शरीर या निजी भाग पर कोई आंतरिक या बाहरी चोट मौजूद नहीं थी। हाइमन फटा हुआ पुराना है। एल.एम.पी-10-06-2018।
>
> डॉ. पी. मिश्रम, एम. ओ. सदर अस्पताल, मधुबानी द्वारा योनि स्वेब की पैथोलॉजिकल जांच की गई है। पैथोलॉजिकल रिपोर्ट के अनुसार योनि स्मीयर में कोई शुक्राणु नहीं पाया जाता है। डब्ल्यू. बी. सी.-0 से 1 एच.

पी. एफ., आर. बी. सी.-शून्य, ई-कोशिकाएं-2 से 3 एच. पी. एफ., अन्य कुछ नहीं।

उसी मेडिकल बोर्ड द्वारा दी गई आयु निर्धारण रिपोर्ट के लिए सदर अस्पताल, मधुबानी द्वारा एक्स-रे किया गया।

एक्स-रे खोज से पता चलता हैः-

1. दोनों कलाईयों के एक्स-रे एपी दृश्य में रेडियस अल्ना के निचले सिरे के एपिफिसिस का पूर्ण संलयन दिखाई देता है।

2. दोनों कोहनी एपी दृश्य का एक्स-रे ओलिकारने के एपिफिसिस का पूर्ण संलयन दिखाता है।

3. एक्स-रे श्रेणी एपी दृश्य इलियाक क्रेस्ट के एपिफिसिस के पूर्ण संलयन को दर्शाता है।

आयु के बारे में मेडिकल बोर्ड की राय-शारीरिक और रेडियोलॉजिकल रिपोर्ट के अनुसार पीड़ित की आयु लगभग 19 वर्ष है।

मेडिकल बोर्ड का निष्कर्ष -

शारीरिक और रोग संबंधी जाँच के अनुसार जाँच के समय बलात्कार का कोई चिकित्सीय प्रमाण नहीं मिला। पीड़ित की उम्र लगभग 19 वर्ष है।

एम/आई-गर्दन के बाईं ओर एक काला तिल।

22. पी.डब्लू.-7 अशोक यादव ने बताया कि उसने अपनी बेटी की शादी बिनोद कुमार के साथ की थी। बिनोद उसकी बेटी को परेशान करता था ताकि वह उसकी दूसरी बेटी से शादी करके अपनी संपत्ति हड़प सके। शादी के बाद उसे पता चला कि बिनोद का 4-5 लड़कियों के साथ अवैध संबंध है। उसने बताया कि बिनोद कुमार के परिवार ने उसके गलत कामों में उसका साथ दिया।

23. पीडब्लू-8 शैलेंद्र कुमार विद्याकर जाँच अधिकारी हैं जिन्होंने कहा है कि उन्होंने घटना स्थल का दौरा किया जो सूचना देने वाले के घर के दक्षिण की ओर स्थित है। संहिता की धारा 161 के तहत पीड़ित का बयान दर्ज किया गया। इसके बाद, संहिता की धारा 164 के तहत पीड़ित का बयान दर्ज किया गया। उन्होंने आगे कहा कि, जांच के बाद, उन्होंने आई. पी. सी. की धारा 366 (ए)/34 और पॉक्सो अधिनियम की धारा 12 के तहत आरोप पत्र संख्या 434/18 प्रस्तुत किया।

24. पीडब्लू-9 सच्चिदानंद प्रसाद भी इस मामले के जांच अधिकारी हैं। उन्होंने कहा है कि उन्होंने आरोपी विनोद कुमार के खिलाफ आई. पी. सी. की धारा 366 (ए)/34 और पॉक्सो अधिनियम की धारा 12 के तहत पूरक आरोप पत्र प्रस्तुत किया है।

24.1. अपनी जिरह में उसने कहा है कि उसने केवल आरोपी विनोद कुमार के खिलाफ जांच की है। उन्होंने आगे कहा कि उन्होंने किसी भी गवाह का बयान दर्ज नहीं किया है क्योंकि हर बिंदु पर जांच पहले ही पूरी हो चुकी थी।

25. हमने अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत सम्पूर्ण साक्ष्य का पुनः मूल्यांकन किया है। इस स्तर पर, हम यह देखना चाहते हैं कि मैट्रिक परीक्षा की अंक-पत्र की फोटोकॉपी के आधार पर, अभियोजन पक्ष ने यह तर्क देने की कोशिश की है कि घटना की तारीख को, पीड़िता नाबालिग थी और उसकी आयु लगभग 17 वर्ष और 1 महीने थी। अंक-पत्र की फोटोकॉपी में, पीड़िता की जन्म तिथि को 22.04.2001 के रूप में दिखाया गया था। यह ध्यान देने योग्य है कि उक्त दस्तावेज प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति का नाम अभिलेख में नहीं आ रहा है। सूचक अथवा पीड़िता के पिता ने न्यायालय के समक्ष बयान देते समय उक्त दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है। पीडब्लू-8 ने हालांकि अपने मुख्य परीक्षण में उल्लेख किया है कि अंक-पत्र की उक्त फोटोकॉपी पीड़ित के पिता ने जांच के समय उसे दी थी, लेकिन उक्त गवाह ने अदालत के समक्ष बयान देते समय उक्त दस्तावेज भी पेश नहीं किया है। हालाँकि, तथ्य यह है कि उक्त दस्तावेज़ को प्रदर्शनी-10 के रूप में चिह्नित किया गया है। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क है कि प्रदर्शनी देते समय, बचाव पक्ष ने कोई आपत्ति नहीं जताई है और इसलिए, बचाव पक्ष के लिए इस स्तर पर यह तर्क देना उचित नहीं है कि इस दस्तावेज़ पर गौर नहीं किया जा सकता है। हमारा मानना है कि उक्त तर्क पूरी तरह से मनगढ़त है। भले ही दस्तावेज़ प्रदर्शित किया गया हो, उक्त दस्तावेज़ों की सामग्री स्वचालित रूप से साबित नहीं होती है। इस स्तर पर, हम पीडब्लू-6 (डॉक्टर) द्वारा दिए गए बयान का उल्लेख करना चाहेंगे, जिन्होंने पीडिता की जांच की थी। शारीरिक और रेडियोलॉजिकल निष्कर्षों के आधार पर, पीड़िता की जांच करने वाले मेडिकल बोर्ड ने कहा कि पीड़िता की उम्र लगभग 19 वर्ष है। बयान के पैराग्राफ-6 और 7 में डॉक्टर के पास विशेष रूप से बताया कि पीड़िता की आयु 19 वर्ष है। जिरह के दौरान, पैरा-10 में, उक्त डॉक्टर ने एक बार फिर दोहराया है कि चिकित्सा जांच के समय, पीडिता वयस्क थी। इस प्रकार, हमारा मानना है कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में विफल रहा है कि घटना के समय पीड़िता नाबालिग थी, इसके लिए उसने कोई भी ऐसा दस्तावेज पेश नहीं किया जो साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य हो। यहां तक कि डॉक्टर द्वारा दिए गए बयान से भी यह स्पष्ट है कि घटना के दिन पीड़िता वयस्क थी ।

26. अब, इस स्तर पर, हम पीडब्लू-8 (जांच अधिकारी) द्वारा दिए गए बयान को संदर्भित करना चाहेंगे, जिन्होंने जांच की है। उक्त गवाह ने जिरह के पैरा-12 में विशेष रूप से स्वीकार किया है कि संहिता की धारा 161 और 164 के तहत बयान देते समय, पीड़िता ने कभी भी यह आरोप नहीं लगाया था कि उसके साथ कोई जबरदस्ती की गई थी। जिरह के पैराग्राफ-13 में, उक्त गवाह ने विशेष रूप से स्वीकार किया है कि डॉक्टर द्वारा दिए गए चिकित्सा प्रमाण पत्र में, पीड़िता को बालिग दिखाया गया था। चिकित्सा प्रमाण पत्र से आगे यह पता चलता है कि बलात्कार का आरोप चिकित्सा प्रमाण पत्र द्वारा समर्थित नहीं है। हमने मजिस्ट्रेट के समक्ष संहिता की धारा 164 के तहत दर्ज पीड़ित के बयान का भी अवलोकन किया है । उक्त बयान में, पीड़िता ने विशेष रूप से कहा है कि वह स्वेच्छा से अपना घर छोड़कर विनोद कुमार के साथ गई थी। किसी ने उसे लुभाया नहीं है। परिवार के सदस्य उसके साथ दुर्व्यवहार करते थे और गुस्से में वह घर से चली गई। उन्होंने धमकी दी कि अगर वह उनके पक्ष में गवाही नहीं देगी तो उसे बाहर निकाल दिया जाएगा और उसे रिमांड होम भेज दिया जाएगा। अदालत द्वारा आगे का सवाल पूछा गया था जिसमें उसने विशेष रूप से कहा है कि वह विनोद कुमार के साथ रहने गई थी जिससे उसने शादी की थी ।

26.1. इस स्तर पर, हम एक बार फिर पीडब्लू-1 (पीड़ित) द्वारा दिए गए बयान का उल्लेख करना चाहेंगे। पैराग्राफ-13 में, उन्होंने विशेष रूप से कहा है कि संहिता की धारा 164 के तहत बयान देते समय, उन्होंने कभी भी अपने माता-पिता के साथ जाने की इच्छा नहीं दिखाई थी। उसका बयान उसे पढ़कर सुनाया गया और उसके बाद उसने संहिता की धारा 164 के तहत दिए गए उक्त बयान पर हस्ताक्षर किए। उक्त कथन को भी प्रदर्शित किया गया था। इस प्रकार, संहिता की धारा 161 और 164 के तहत दर्ज पीड़ित के बयान के साथ-साथ अदालत के समक्ष दिए गए बयान से यह स्पष्ट है कि उसने सूचना देने वाले के मामले का समर्थन नहीं किया है। अपीलार्थी के विद्वान वकील ने पीड़ित के बयान के पैराग्राफ-17 और 22 पर बहुत अधिक भरोसा रखा है जो उस समय तीन साल की अवधि के बाद दर्ज किया गया था जब उसे वापस बुलाया गया था। हालाँकि, कथित बयान से भी, पीड़ित के माध्यम से विलंबित स्तर पर अभियोजन पक्ष द्वारा सामने रखे गए सिद्धांत के संबंध में एक उचित संदेह उठाया जाता है।

27. इस स्तर पर, हम यह देखना चाहेंगे कि अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने केवल अपील के ज्ञापन में किए गए कथनों का उल्लेख किया है जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए कुछ निर्णयों का संदर्भ है। हालाँकि, जैसा कि यहाँ ऊपर देखा गया है, उक्त निर्णयों की प्रति प्रदान नहीं की गई है। इसके अलावा, उक्त निर्णय भी विद्वान

अधिवक्ता द्वारा संदर्भित नहीं किए जाते हैं और केवल अपील के ज्ञापन में किए गए अभिकथनों को संदर्भित किया जाता है। हालाँकि, वर्तमान मामले के तथ्यों में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्णय पर निर्भरता गलत है। हम कानून के इस प्रस्ताव पर विवाद नहीं कर सकते हैं कि चिकित्सा साक्ष्य अभियोक्ता के अन्यथा ठोस और भरोसेमंद साक्ष्य को खारिज नहीं कर सकते।

27.1.वर्तमान मामले में, जैसा कि यहाँ ऊपर चर्चा की गई है, पीड़ित ने स्वयं विद्वान दंडाधिकारी के समक्ष संहिता की धारा 161 और 164 के तहत अपना बयान देते हुए मूल आरोपी संख्या 1 विनोद कुमार सहित सभी अभियुक्तों को दोषमुक्त कर दिया है। यहां तक कि अदालत के समक्ष गवाही देते समय, मुख्य परीक्षा के साथ-साथ जिरह में जो मई 2019 में दर्ज की गई थी, उसने मूल आरोपी नंबर 1 विनोद कुमार सहित वर्तमान निजी उत्तरदाताओं को शामिल नहीं किया। जैसा कि ऊपर देखा गया है, 3 साल की अवधि के बाद, जब पीड़िता ने पैरा-17 और 22 में पहली बार वापस बुलाया गया, जिस पर अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा काफी निर्भरता रखी गई है, उसने पहली बार कहा है कि अभियुक्तों ने उसका अपहरण कर लिया है और मूल अभियुक्त संख्या 1 बिनोद कुमार ने मुज़फ़्फ़रपुर में उसके साथ बलात्कार किया है। हमारा विचार है कि वापस बुलाए जाने के समय पीड़ित के उक्त बयान को विश्वसनीय नहीं कहा जा सकता है। उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है और इसलिए, जब वर्तमान मामले में चिकित्सा साक्ष्य पीड़िता के पहले संस्करण का समर्थन करता है जो उसके द्वारा पुलिस के साथ-साथ संहिता की धारा 164 के तहत विद्वान दंडाधिकार के समक्ष दिया गया था, तो यह सही संस्करण था और चिकित्सा साक्ष्य भी उक्त संस्करण का समर्थन करते हैं। इसलिए, हमारा विचार है कि उपरोक्त निर्णय अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता को कोई सहायता प्रदान नहीं करेगा।

27.2.हम कानून के इस प्रस्ताव पर भी विवाद नहीं कर सकते कि पीड़ित के बयान में मामूली विरोधाभास और महत्वहीन विसंगति अन्य विश्वसनीय साक्ष्य खारिज करने का आधार नहीं होनी चाहिए। हालाँकि, वर्तमान मामले के तथ्यों में, अभियोजन पक्ष के गवाहों द्वारा दिए गए बयान में बड़े विरोधाभास और विसंगतियाँ हैं और इसके विपरीत, पीड़िता ने स्वयं संहिता की धारा 161 और 164 के तहत और अदालत के समक्ष भी अपना बयान देते हुए आरोपी को दोषमुक्त कर दिया है। इस प्रकार, विद्वान अधिवक्ता द्वारा **पंजाब राज्य बनाम गुरमीत सिंह** के मामले में,निर्णय पर रखी गई निर्भरता जो **(1996) 2 एस. सी. सी. 384** में दर्ज किया गया को भी गलत समझा गया है।

28. वर्तमान मामले के उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, हमारा विचार है कि वर्तमान निजी प्रतिवादियों के खिलाफ अभियोजन पक्ष के नेतृत्व में

साक्ष्य में ऐसी कोई सामग्री उपलब्ध नहीं है जिससे यह स्थापित किया जा सके कि वर्तमान निजी प्रतिवादियों ने कथित अपराध किए हैं। हमने वर्तमान निजी प्रतिवादियों को बरी करते समय निचली अदालत द्वारा दर्ज किए गए तर्क को भी देखा है और हमारा विचार है कि निचली अदालत ने निजी प्रतिवादियों के पक्ष में विवादित निर्णय और बरी करने का आदेश पारित करते समय कोई त्रुटियां नहीं की है।

29. इस स्तर पर, हम **आपराधिक अपील (डी. बी.) 2023 का सं. 550 (राधे श्याम महतो उर्फ राधेश्वर महतो बनाम बिहार राज्य और अन्य)** में इस न्यायालय द्वारा पारित 10 जनवरी, 2024 के आदेश को भी संदर्भित करना चाहेंगे। इस न्यायालय ने उक्त मामले में, बरी करने की अपील पर विचार करते समय माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों/सिद्धांतों पर विचार किया गया। इस न्यायालय की खंड पीठ ने पैराग्राफ-21 में **चंद्रप्पा और अन्य बनाम कर्नाटक राज्य (ऊपर)** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय को संदर्भित किया है और अधिक विशेष रूप से उक्त निर्णय का **पैरा-42** का उल्लेख किया है। इस न्यायालय ने **निखिल चंद्र मंडल बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (2023) 6 एस. सी. सी. 605** में माननीय सर्वोच्च द्वारा दिए गए एक अन्य निर्णय पर विचार किया गया। और इस न्यायालय ने **पैरा-21 और 22** में उपरोक्त मामले को निम्नानुसार देखा गया हैः

> ***"21.*** *बरी किए जाने के खिलाफ अपील में हस्तक्षेप का दायरा बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट है। जब तक ऐसा निष्कर्ष विकृत या अवैध/असंभव नहीं पाया जाता है, तब तक अपीलीय न्यायालय को इसमें हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं है।*
>
> ***22.*** *हाल ही में, राजेश प्रसाद बनाम बिहार राज्य [राजेश प्रसाद बनाम बिहार राज्य, (2022) 3 एस. सी. सी. 471:(2022) 2 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 31] ने बरी होने के मामले में हस्तक्षेप के दायरे पर पहले के विभिन्न निर्णयों पर विचार किया है। इसने अभिनिर्धारित किया कि अभियुक्त के पक्ष में दोहरी धारणा है। सबसे पहले, निर्दोषता का अनुमान जो आपराधिक न्यायशास्त्र के मौलिक सिद्धांत के तहत उसके लिए उपलब्ध है कि प्रत्येक व्यक्ति को तब तक निर्दोष माना जाएगा जब तक कि वह किसी सक्षम अदालत द्वारा दोषी साबित न हो जाए। दूसरा, अभियुक्त द्वारा बरी किए जाने के बाद, उसकी बेगुनाही की धारणा को न्यायालय द्वारा और मजबूत, फिर से पुष्टि और मजबूत किया जाता है। यह भी अभिनिर्धारित किया गया है कि यदि अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य के आधार पर दो उचित निष्कर्ष संभव हैं, तो अपीलीय न्यायालय को निचली अदालत द्वारा दर्ज किए गए बरी किए जाने के निष्कर्ष में बाधा नहीं डालनी चाहिए।*

30. माननीय सर्वोच्च् न्यायालय के साथ-साथ इस न्यायालय द्वारा दिए गए उपरोक्त निर्णयों से यह कहा जा सकता है कि अभियुक्त के पक्ष में दोहरी धारणा है जबकि बरी करने का आदेश निचली अदालत द्वारा दर्ज किया गया है। सबसे पहले, निर्दोषता का अनुमान जो अभियुक्त को आपराधिक न्यायशास्त्र के मूल सिद्धांत यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को तब तक निर्दोष माना जाएगा, जब तक कि वह किसी सक्षम न्यायालय द्वारा दोषी साबित नहीं हो जाता है। दूसरा, अभियुक्त द्वारा बरी किए जाने के बाद, उसकी बेगुनाही के अनुमान की अदालत द्वारा पुनः पुष्टि की जाती है। इसके अलावा, यदि अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य के आधार पर दो उचित निष्कर्ष संभव हैं, तो अपीलीय न्यायालय को विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए दोषमुक्ति के निष्कर्ष में कोई बदलाव नहीं करना चाहिए।

31. माननीय सर्वोच्च न्यायालय और इस न्यायालय द्वारा निर्धारित उपरोक्त कानून को ध्यान में रखते हुए, यदि वर्तमान मामले के तथ्यों की जांच की जाती है, जैसा कि यहां ऊपर चर्चा की गई है, तो हमारा विचार है कि सूचना देने वाले/अभियुक्त द्वारा दायर वर्तमान बरी करने की अपील में, निजी प्रतिवादियों को बरी करने के आदेश के खिलाफ, किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

32. तदनुसार, वर्तमान याचिका खारिज कर दी जाती है।

(विपुल एम. पंचोली, न्यायमूर्ति)

(रमेश चंद मालवीय, न्यायमूर्ति)

सचिन/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।